



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 802/2004

राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजबो

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

में सहमत हूँ।

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

निर्णय के लिए दिनांक: 02.05.2012 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 802/2004

अपीलार्थी

राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजबो, पिता

मंगरु, आयु लगभग 50 वर्ष,

व्यवसाय खेती, साकिन -

सुसडेगा, थाना पत्थलगांव,

जिला जशपुरनगर

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना:

अ.जा.क., अम्बिकापुर, जिला

सरगुजा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थिति:

सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से

श्रीमती मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से



निर्णय

(02/05/2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उद्घोषित किया गया:

(1) यह अपील विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 132/2000 में विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989), अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा अर्थदंड का भुगतान न करने की दशा में 3 माह के साधारण कारावास का दंडादेश दिया गया।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :

मृतका बती बाई, भोंगला (अ.सा.-3) की पत्नी थी। सोभित (अ.सा.-2) उनका पुत्र है। भोंगला (अ.सा.-3) बॉक्साइट खदान में कार्यरत था, इसलिए वह ग्राम मैनपाट में निवास करता था। मृतका बती बाई, उसका पुत्र सोभित (अ.सा.-2) तथा सोभित की दादी—ये तीनों ग्राम सोलहपारा में साथ रहते थे। दिनांक 24.11.1998 को बती बाई (मृतका) ग्राम सुरेशपुर के बाजार गई थी। वह रात तक वापस नहीं लौटी। उसका पुत्र सोभित (अ.सा.-2) रात में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अभियोजन का मामला यह है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में अपीलार्थी मृतका को अपने कंधे पर उठाकर लाया और उसे उसके घर के बरामदे में छोड़ दिया तथा उसे उसकी साड़ी से ढँक दिया। यह घटना सोभित (अ.सा.-2) द्वारा देखी गई। उस समय सोभित (अ.सा.-2) अपनी माता को देखने नहीं गया और सो गया। प्रातः जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, तब वह अपने चाचाओं—सनीराम (अ.सा.-4) एवं रघुराम (अ.सा.-5)—के घर गया। वे दोनों उसके घर आए और देखा कि मृतका उसके घर के बरामदे में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। रघुराम (अ.सा.-5) मैनपाट गया और भोंगला (अ.सा.-3) को बुलाया। भोंगला (अ.सा.-3) ने अपने पुत्र सोभित (अ.सा.-2) से बातचीत की और मर्ग सूचना (प्र.-पी/5) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचना (प्र.-पी/1) दी तथा मृतका के शव का पंचनामा (प्र.-पी/2) तैयार किया। मृतका के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर शव परीक्षण हेतु भेजा गया। शव परीक्षण दो चिकित्सकों — डॉ. प्रमोद मालवीय (अ.सा.-8) एवं डॉ. के.के. दत्ता



(अ.सा.-14) — द्वारा किया गया। उन्होंने मृतका के शरीर पर अनेक बाह्य चोटें पाई तथा अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण सिर की चोट से उत्पन्न कोमा था एवं मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.-पी/8 है।

अभियोजन का आगे का मामला यह है कि अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजबो ने दिलीप साई एवं अमर साई (अ.सा.-16) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की। इसके पश्चात अपीलार्थी को गिरफ्तार कर विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश ने सोभित (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह सिद्ध है कि अपीलार्थी ने दिनांक 24.11.1998 एवं 25.11.1998 की मध्यरात्रि में मृतका को उसके घर लाकर छोड़ा; मृतका को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मृत्यु मानववध थी; अतः अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है। तथापि, अपीलार्थी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

(3) स्वीकृत रूप से, घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, अर्थात् अपीलार्थी मृतका को घायल अथवा मृत अवस्था में उसके घर लाया; तथा अपीलार्थी द्वारा अमर साई (अ.सा.-16) एवं दिलीप साई के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गई। दिलीप साई का परीक्षण नहीं किया गया और अमर साई (अ.सा.-16) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। अतः माननीय विशेष न्यायाधीश ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परिस्थिति पर विश्वास नहीं किया और दोषसिद्धि केवल इस एकमात्र परिस्थिति के आधार पर की गई कि अपीलार्थी मृतका (जीवित अथवा मृत अवस्था में) को उसके घर लाया और उसे उसके घर के बरामदे में छोड़ दिया। उक्त परिस्थिति को एकमात्र साक्षी सोभित (अ.सा.-2) के साक्ष्य के आधार पर सिद्ध माना गया।

(4) सुश्री शर्मिला सिंघई, जो अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुई, ने तर्क प्रस्तुत किया कि सोभित (अ.सा.-2) एक बाल साक्षी है, जिसकी आयु लगभग 11-12 वर्ष है; वह मृतका का पुत्र है; उसका डायरी कथन दिनांक 05.12.1998 को दर्ज किया गया; उसका आचरण अस्वाभाविक प्रतीत होता है; उसने घटना की सूचना अपनी दादी को नहीं दी, जो कि स्वीकृत रूप से घर में उपस्थित थी; अतः उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है। सुश्री सिंघई ने जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 931 तथा भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 1088 के निर्णयों को उद्धृत किया है।



- (5) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।
- (6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा विशेष प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।
- (7) बाल साक्षी एक सक्षम साक्षी होता है। बालक की स्वाभाविक निष्कपटता एवं सत्यनिष्ठा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, किन्तु बाल साक्षी के मामले में प्रेरणा की संभावना सदैव बनी रहती है, जिसे नकारना आवश्यक होता है। अतः बाल साक्षी के साक्ष्य का विवेचन करते समय विशेष सावधानी अपेक्षित होती है, विशेषकर तब जब वह वास्तविक घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी हो अथवा ऐसा एकमात्र साक्षी हो जिसके कथन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग किया जाना हो।
- (8) सोभित (अ.सा.-2) की आयु घटना के समय लगभग 11-12 वर्ष थी। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के दिन उसकी माता ग्राम सुरेशपुर के बाजार गई थी और वह रात्रि तक वापस नहीं लौटी। वह आधी रात तक जागता रहा। उसने देखा कि अपीलार्थी उसकी माता को अपने कंधे पर उठाकर लाया और उसे उनके घर के दरवाजे पर लिटा दिया। यह देखकर वह भयभीत हो गया। वह अपनी माता को जगाने नहीं गया और रात्रि में सो गया। प्रातः जब वह अपनी माता को देखने गया, तो उसने पाया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके पश्चात वह अपने चाचाओं, सनीराम (अ.सा.-4) एवं रघुराम (अ.सा.-5) के पास गया और उन्हें यह सूचना दी कि अपीलार्थी उसकी माता को मारकर लाया है। रघुराम (अ.सा.-5) एवं सनीराम (अ.सा.-4) उसके घर आए, मृतका का शव देखा और तत्पश्चात उसके पिता को ग्राम मैनपाट से बुलाया गया।
- (9) सोभित (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह शीत ऋतु की रात थी और वह घर के भीतर कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी दादी भी उसी घर में सो रही थी। सोभित (अ.सा.-2) के आचरण पर ध्यान दिया जाए तो यह प्रतीत होता है कि अत्यधिक ठंड की रात होने के बावजूद उसने अपनी माता को घर के अंदर लाने का प्रयास नहीं किया और न ही उसे कंबल से ढँका। यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि प्रातः काल तक उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी माता को अपीलार्थी मृत अवस्था में लाया था। यह भी उल्लेखनीय है कि सोभित (अ.सा.-2) ने अपनी दादी को यह सूचना नहीं दी कि मध्यरात्रि में अपीलार्थी उसकी माता को घर के बाहर बरामदे में छोड़ गया है। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा दादी का परीक्षण भी नहीं किया गया है।
- (10) मर्ग सूचना (प्र.-पी/5) भोंगला (अ.सा.-3) द्वारा दर्ज कराई गई थी। उसने अपने कथन में कहा कि जब वह अपने गाँव वापस लौटा, तब उसने अपने पुत्र से बातचीत की, जिसने बताया कि



मृतका को अपीलार्थी मध्यरात्रि में लाया था। उसने इस तथ्य का उल्लेख मर्ग सूचना में किया, जो दिनांक 25.11.1998 को दर्ज की गई। इस तथ्य के उद्घाटन के पश्चात भी कि सोभित (अ.सा.-2) ही एकमात्र व्यक्ति था, जो अपनी माता को अपीलार्थी द्वारा घर लाए जाने की घटना देखने का दावा कर रहा था, उसका केस डायरी कथन दिनांक 05.12.1998 को, अर्थात् घटना के 12वें दिन दर्ज किया गया। अभियोजन द्वारा इस अत्यधिक विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार का विलंब, जफर (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में, अभियोजन के लिए घातक है। सोभित (अ.सा.-2) का आचरण, कि उसने अपनी माता को मध्यरात्रि में अपीलार्थी द्वारा लाते हुए देखने के बावजूद पुनः जाकर सो गया, अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है और भगवान सिंह (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रकाश में उसके साक्ष्य पर अवलंब नहीं लिया जा सकता।

(11) इसके अतिरिक्त, सोभित (अ.सा.-2) की साक्ष्य में अन्य त्रुटियाँ भी विद्यमान हैं। सनीराम (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसका भतीजा सोभित (अ.सा.-2) प्रातः उसके पास आया और बताया कि अपीलार्थी उसकी माता को रात में लाकर उसके घर छोड़ गया था। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि सोभित (अ.सा.-2) ने केवल इतना कहा था कि वह अपनी माता को जगा रहा था, परंतु वह जाग नहीं रही थी। रघुराम (अ.सा.-5) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा कि सोभित (अ.सा.-2) ने केवल उसे अपनी माता को देखने के लिए बुलाया था। इसका अर्थ यह है कि उसने यह नहीं बताया कि अपीलार्थी उसकी माता को मध्यरात्रि में लाया था।

(12) अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सम्यक् विवेचन के उपरांत हम पाते हैं कि सोभित (अ.सा.-2) ने रात्रि में अपनी माता को देखने का प्रयास नहीं किया, जबकि उसने यह कथित रूप से देखा था कि अपीलार्थी उसे घर लाकर छोड़ गया था; उसने अपनी माता को घर के बरामदे में अकेला छोड़ दिया और स्वयं सो गया; उसने यह तथ्य अपनी दादी को भी नहीं बताया, जो उसी घर में स्वीकृत रूप से उपस्थित थी; अभियोजन ने सोभित (अ.सा.-2) की दादी का परीक्षण भी नहीं किया; सोभित (अ.सा.-2) ने रात्रि की घटना के संबंध में अपने दोनों चाचाओं—सनीराम (अ.सा.-4) एवं रघुराम (अ.सा.-5)—को भी कोई जानकारी नहीं दी; और इसके अतिरिक्त उसका केस डायरी कथन घटना के 12वें दिन दर्ज किया गया। उपर्युक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि एकमात्र बाल साक्षी सोभित (अ.सा.-2) का आचरण अस्वाभाविक था। हमारा मत है कि उक्त परिस्थितियों में माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सोभित (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर भरोसा करना त्रुटिपूर्ण था और उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि स्थिर रखने योग्य नहीं है।



(13) उपर्युक्त कारणों के लिए अपील स्वीकृत की जाती है तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी कारागार में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।

समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aryan Mishra

